अनुदान संख्या 20 – रक्षा मंत्रालय
GRANT No. 20–MINISTRY OF DEFENCE

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*			*26,00*	*10,22*	*–15,78*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*11,00*
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original	6817,41,00		6881,41,00	5842,43,69	–1038,97,31
पूरक	Supplementary	64,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					902,53,74
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original	682,17,00		687,13,00	376,22,39	–310,90,61
पूरक	Supplementary	4,96,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					210,39,20

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *6.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय - सामान्य सेवाएं" के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीक त अंश में, कुल बचतें (103897.31 लाख रु.) दिसंबर, 2006 में प्राप्त किए गए 6400.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीक त प्रावधान का 15 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.6.00 lakhs* remained wholly unutilised in two cases under Major Head "2052" - "Secretariat - General Services".

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.103897.31 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.6400.00 lakhs obtained in December, 2006 and constituted 15 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2037'' सीमा शुल्क	Major Head "2037" Customs				
मू.	O.	43000.00	38219.00	36631.99	–1587.01
पु.	R.	–4781.00			
मुख्य शीर्ष ''2052'' सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	66564.00	62704.15	61485.55	–1218.60
पु.	R.	–3859.85			
मुख्य शीर्ष ''2055'' पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	32179.00	33545.00	30185.88	–3359.12
पु.	R.	1366.00			
मुख्य शीर्ष ''2075'' विविध सामान्य सेवाएं	Major Head "2075" Miscellaneous General Services				
मू.	O.	537738.00	454714.59	453761.40	–953.19
पु.	R.	–83023.41			
मुख्य शीर्ष ''2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	8.00	6408.77	8.77	–6400.00
पू.	S.	6400.00			
पु.	R.	0.77			

(I) 6400.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को सहायतास्वरूप सहायता अनुदान की स्कीम'' के अंतर्गत एक मामले में आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय

(I) Supplementary provision of Rs.6400.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2852" - "General - Other Expenditure - Scheme of Grant in aid in Support of Bharat Earth Movers Ltd." - due to delay in

समिति का अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2037 '' - "निवारक और अन्य कार्य - तटरक्षक संगठन'' के अंतर्गत 6368.01 लाख रु. की बचत (43000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डोरनियर अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की अधिप्राप्ति का अंतरण (राजस्व से पूंजीगत को) किए जाने, विभिन्न आपूर्ति आदेशों के मूर्तरूप लेने में विलंब होने, चिकित्सा दावे प्रत्याशा से कम होने, री-फिटों को स्वीकृत न किए जाने और विदेश/देश में अस्थायी ड्यूटियों पर प्रतिबंध लगा दिए जाने, वेतन के अंतर्गत निधियों की अनुमान से कम आवश्यकता होने, मुंबई में वर्ली भूमि और म्हादा फ्लैटों के लिए बंबई नगर निगम को पट्टा राशि की अदायगी के मूर्तरूप न लेने, परियोजना स्वीकृत न किए जाने और क्रेताओं द्वारा बिलों की प्रस्तुति में विलंब होने, पेट्रोल, तेल एवं स्नेहकों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2052'' - "अन्य कार्यालय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "रक्षा लेखा विभाग''- 4598.32 लाख रु. की बचत (53371.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवानिवृत्ति, मृत्यु होने और कर्मचारी चयन आयोग से डोजियरों की प्राप्ति न होने, मिशन एक्सल सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना के अंतर्गत एलओटी-IV के लिए निर्धारित राशि के मूर्तरूप न लेने, लेखन सामग्री/कार्यलय उपस्कर के पूर्ति आदेशों के मूर्तरूप न लेने और चिकित्सा दावे अनुमान से कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "रक्षा संपदा संगठन''- 512.94 लाख रु. की बचत (6342.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भरे न जाने और चिकित्सा दावे अनुमान से कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2055'' - "विशेष पुलिस - जम्मू तथा कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के संबंध में अदा किए गए प्रभार'' - 1993.12 लाख रु. की बचत (32179.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संयुक्त राष्ट्र मिशन ड्यूटियों पर जम्मू तथा कश्मीर लाइट इन्फैंट्री की एक यूनिट तैनात किए जाने, उत्तर कमान में विशेष स्थिति होने की वजह से निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने और भंडारों की अनुमान से कम मांग होने के कारण हुई।

obtaining approval of Cabinet Committee on Economic Affairs.

(II) Under Major Head "2037" - "Preventive and Other functions – Coast Guard Organisation" - saving of Rs.6368.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.43000.00 lakhs) was due to transfer of procurement of Dornier spares (from Revenue to Capital), delay in materialisation of various supply orders, less medical claims than anticipated, non-sanctioning of Re-fits and restrictions imposed on foreign/ domestic temporary duties, less requirement of funds than anticipated under salaries, non-materialisation of payment of lease money to Bombay Municipal Corporation for Worli land and MHADA Flats at Mumbai, non-sanctioning of project and delay in submission of bills by vendors, less requirement of Petrol, Oil and Lubricants.

(III) Under Major Head "2052" - "Other Offices" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Defence Accounts Department (DAD)" - saving of Rs.4598.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.53371.00 lakhs) was due to retirement, death and non-receipt of dossiers from Staff Selection Commission, non- materialisation of amount earmarked for LOT-IV under mission Exel Information Technology project , non-materialisation of supply orders of stationery/ office equipment and receipt of less medical claims than anticipated.

(B) "Defence Estate Organisation (DEO)" - saving of Rs.512.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6342.00 lakhs) was due to non-filling up of the vacant posts of various categories and receipt of less medical claims than anticipated.

(IV) Under Major Head "2055" "Special Police-Charges paid in respect of J & K Light Infantry (JAKLI)" - saving of Rs.1993.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.32179.00 lakhs) was due to deployment of one JAKLI unit on UN Mission duties, less expenditure on works owing to peculiar condition in Northern Command and less demand of stores than anticipated.

(V) मुख्य शीर्ष ''2075'' - ''कैंटीन स्टोर विभाग - कैंटीन सेवा निदेशालय'' के अंतर्गत 83976.60 लाख रु. की बचत (537738.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिक्री कर छूट वापस ले लिए जाने और मूल्यवर्धित कर लागू कर दिए जाने की वजह से बिक्री में कमी होने, स्मार्ट कार्ड लागू किए जाने जिससे क्रय क्षमता पर आर्थिक सीमा लागू हो गई और सेना कार्मिकों के लिए शराब की प्राधिकृत मात्राा कम होने, डिपुओं से प्रमाणित दस्तावेजों के प्राप्त होने में विलंब होने और बिलों/क्रय आदेशों के ब्योरों का मिलान न होने तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संविदा में विसंगति होने की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2075" - "Canteen Stores Department (CSD) - Directorate of Canteen Services" - saving of Rs.83976.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.537738.00 lakhs) was due to reduction in sales owing to withdrawal of Sales Tax concession and imposition of Value Added Tax, introduction of smart cards that imposed monetary limit on the purchasing capacity and reduction in authorisation of liquor for service personnel, delay in receipt of certified documents from the depots and mismatch of details of bills/purchase orders and owing to anomaly in the contract approved by Ministry of Defence and thereby no release of funds.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (31090.61 लाख रु.) दिसंबर, 2006 में प्राप्त किए गए 496.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 45 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.31090.61 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.496.00 lakhs obtained in December, 2006 and constituted 45 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4047'' अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	64500.00	43800.00	33834.55	–9965.45
पु.	R.	–20700.00			
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1791.00	1533.00	1734.26	+201.26
पु.	R.	–258.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	1522.00	1443.00	1266.04	–176.96
पु.	R.	–79.00			

(I) 102.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.102.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष ''4047'' - ''सीमा शुल्क - तटरक्षक संगठन'' के अंतर्गत 30665.45 लाख रु. की बचत (64500.00 लाख रु. के स्वीकत प्रावधान की तुलना में) बाढ़ के दौरान प्रभावित हुए डीजल आल्टरनेटर की मरम्मत न किए जाने, यार्डों द्वारा एचटी स्टील की प्राप्ति न होने और संविदा के अधित्याग/संशोधन के माध्यम से चरण VII अदायगी के मामले विचाराधीन होने और एचएआरटी-एफ की अधिप्राप्ति आस्थगित होने की वजह से अतिरिक्त हिस्से-पुर्जो की अधिप्राप्ति अनुमान से कम होने, दो नई स्कीमें स्वीकत न किए जाने और नई स्कीमों के अंतर्गत स्वीकत निर्माण कार्य के निष्पादन में प्रक्रियात्मक विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4047" - "Customs-Coast Guard Organisation" - saving of Rs.30665.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.64500.00 lakhs) was due to non-repair of Diesel Alternator affected during the floods, delay on account of non-receipt of HT Steel by the yards and cases of stage VII payment through waiver/ amendment of contract were under consideration and less procurement of spares than anticipated as procurement held in abeyance of HART-F, non-sanctioning of two new schemes and procedural delay in execution of works sanctioned under new schemes.

(III) मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''कार्यालय भवन - निर्माण - रक्षा लेखा विभाग'' के अंतर्गत 263.02 लाख रु. की बचत (1541.00 लाख रु. के स्वीकत प्रावधान की तुलना में)कार्य पूरा होने और निविदा कार्रवाई में विलंब होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4059" - "Office Buildings-Construction - Defence Accounts Department" - saving of Rs.263.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1541.00 lakhs) was due to delay in completion of work and in tender action.

(IV) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - निर्माण'' के अंतर्गत 155.96 लाख रु. की बचत (1422.00 लाख रु. के स्वीकत प्रावधान की तुलना में) इंजीनियरी प्राधिकारियों द्वारा निविदा कार्रवाई में विलंब होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings- Other Housing-Construction" - saving of Rs.155.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1422.00 lakhs) was due to delay in tender action by engineering authorities.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 80.37 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकत प्रावधान का 40 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of Rs.80.37 lakhs occurred constituting 40 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''कार्यालय भवन - निर्माण - रक्षा सम्पदा संगठन'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 206.28 लाख रु. का अधिक व्यय (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष 2006-07 के दौरान अनुमान से अधिक व्यय जिसके कि दो-तीन वर्षों की अवधि में होने की आशा थी, होने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4059" - "Office Buildings-Construction-Defence Estate Organisation" - excess of Rs.206.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to increased expenditure than anticipated during 2006–07 which was expected to be staggered over a period of two-three years.